कार्यालय अंचल अधिकारी, कोडरमा

विविध वाद सं0 08 / 2018–19

बीबी अमिनया खातून
पति– स्व0 उद्दीन मियां
साकिन– झलपो
जिला– कोडरमा

10-05-2018 अमिनया खातून, पति– स्व0 उद्दीन मियां, साकिन– झलपो, पो0– झुमरी तिलैया, थाना– तिलैया, जिला– कोडरमा के द्वारा आवेदन दिया गया है कि उनकी भूमि मौजा– झलपो, खाता सं0– 14, प्लॉट नं0– 285, 284, 263 एवं 261, कुल रकबा– 22 डी0 जो पंजी II के पृष्ठ सं0– 315/1 पर बीबी अमिनया खातून, पति– उद्दीन मियां एवं सबीरन खातून, पति– रोजन मियां के नाम से जमाबंदी चल रही थी। उक्त पंजी II का पृष्ठ सं0– 315/1 क्षतिग्रस्त होने के कारण अब मालगुजारी रसीद निर्गत नहीं हो रहा है।

आवेदक, अमिनया खातून के द्वारा केवाला सं0– 18102 दिनांक 02.09.1970 तथा मालगुजारी रसीद सं0– 0002872 वर्ष 2006–07 की छायाप्रति अपने आवेदन के साथ संलग्न करते हुए अपनी भूमि की ऑनलाइन जमाबंदी कायम कर मालगुजारी रसीद निर्गत करने का अनुरोध किया गया है।

उक्त आवेदन के आलोक में राजस्व कर्मचारी / अंचल अमीन / अंचल नाजीर / अंचल निरीक्षक से जांच कर विहित प्रपत्र में प्रतिवेदन की मांग करें।

अभिलेख दिनांक 24 / 05 / 2018 को उपस्थापित करें।

10/05/2018

अंचल अधिकारी,
कोडरमा

24.05.18 अभिलेख उपस्थापित।

राजस्व कर्मचारी / अंचल अमीन / अंचल नाजीर / अंचल निरीक्षक से विहित प्रपत्र में जांच प्रतिवेदन प्राप्त है, जो अभिलेख में संलग्न है। जांचोपरांत राजस्व कर्मचारी के द्वारा प्रतिवेदित किया गया है, "मौजा– झलपो, थाना नं0– 01 के चालू पंजी II के पृष्ठ सं0 315/1 पर खाता सं0– 14, रकबा– 0.22 ए0 भूमि, लगान– 0.20 रू0 भूमि श्रीमती सबीरन खातून, पति– रोजन मियां एवं बीबी अमिनया खातून, पति– उद्दीन मियां के नाम से जमाबंदी दर्ज था। उक्त पंजी में पृष्ठ सं0 315 वॉल्यूम I क्षतिग्रस्त हो गया है। इसलिए जमाबंदी स्पष्ट नहीं होता है। **उक्त भूमि रैयती खाते की है।** अमीन द्वारा मापी के उपरांत जमाबंदी कायम करने की कार्रवाई की जा सकती है।"

मापी के उपरांत अंचल अमीन के द्वारा प्रतिवेदित किया गया है, "मौजा– झलपो, थाना नं0– 01 अन्तर्गत खाता सं0– 14, प्लॉट नं0– 284, रकबा– 12 डी0 मध्ये 06 डी0 वो प्लॉट नं0– 285, रकबा– 15 डी0 मध्ये 06 डी0 एवं प्लॉट नं0– 261, रकबा– 18 डी0 मध्ये 04 डी0, जो डीड नं0– 18102 दिनांक 02.09.1970 को सबीरन खातून, पति– रोजन मियां वो बीबी अमिनया खातून, पति– उद्दीन मियां द्वारा क्रय किया गया है। नक्शा से सरजमीन पर मिलान करने पर पाया कि प्लॉट नं0– 284, में मध्ये रकबा– 06 डी0 वो प्लॉट नं0– 285 में मध्ये रकबा– 06 डी0 प्लॉट नं0– 261 में मध्ये रकबा– 02 डी0, कुल रकबा– 14 डी0 पर आवेदिका बीबी अमिनया खातून, पति– उद्दीन मियां का कब्जा है। शेष प्लॉट का रकबा जो डीड में अंकित है, की बिक्री की जा चुकी है।" अंचल अमीन के द्वारा अपेक्षित कार्रवाई की अनुशंसा की गई है।

अंचल नाजीर के द्वारा आवेदक के आवेदन में संलग्न सरकारी लगान रसीद का नजारत में उपलब्ध रसीद भंडार पंजी से मिलान कर प्रतिवेदित किया गया है, "लगान रसीद सं0– 0002872 लगान भंडार पंजी में दर्ज पाया।"

अंचल निरीक्षक के द्वारा प्रतिवेदित किया गया है, "हल्का कर्मचारी एवं अंचल अमीन के प्रतिवेदन तथा निर्गत लगान रसीद के आधार पर जमाबंदी कायम किया जा सकता है।"

आवेदक को नोटिस निर्गत कर प्रश्नगत भूमि से संबंधित मूल राजस्व कागजातों की मांग करें। साथ ही आम–इस्तहार निर्गत कर दावा/आपत्ति की मांग करें।

अभिलेख दिनांक 04/06/2018 को उपस्थापित करें।

04/05/2018

अंचल अधिकारी,
कोडरमा

04.06.2018 अभिलेख उपस्थापित।

आम इस्तहार का तामिला प्रतिवेदन प्रतिवेदन प्राप्त है, जो अभिलेख में संलग्न है। किसी व्यक्ति के द्वारा कोई दावा/आपत्ति दर्ज नही की गई।

आवेदक, बीबी अमिनवा खातुन, पति– उदीन मिया उपस्थित हैं। उनके द्वारा अपने दावे के समर्थन में केवाला सं0– 18102 दिनांक 02.09.1970 एवं निर्गत सरकारी लगान रसीद सं0– 0002872 वर्ष 2006–07 प्रस्तुत किया गया। दावेदार के द्वारा कार्यपालक दण्डाधिकारी, कोडरमा का शपथ पत्र सं0– 2084 दिनांक 17.05.2018 दाखिल किया गया है।

राजस्व कर्मचारी/अंचल अमीन/अंचल नाजीर/अंचल निरीक्षक के द्वारा जांच के उपरांत विहित प्रपत्र में समर्पित जांच–प्रतिवेदन तथा आवेदक द्वारा प्रस्तुत राजस्व कागजातों के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि उक्त भूमि रैयती खाते की भूमि है, जिसकी जमाबंदी पंजी II के पृष्ठ सं0– 315/I पर सबीरन खातून, पति– रोजन मिया वो बीबी अमिनवा खातून, पति– उदीन मिया के नाम से चल रही थी। उक्त जमाबंदी पंजी II के पृष्ट सं0– 315/I क्षतिग्रस्त हो चुका है।

अतः आवेदक द्वारा प्रस्तुत राजस्व कागजातों एवं राजस्व कर्मचारी/अंचल अमीन/अंचल निरीक्षक/अंचल नाजीर के जाँच प्रतिवेदन के आधार पर ऑनलाइन पंजी II में मौजा– झलपो, थाना न0– 01 के खाता सं0– 14, प्लॉट नं0– 284, रकबा– 06 डी0; प्लॉट नं0– 285, रकबा– 06 डी0 एव प्लॉट नं0– 261, रकबा– 02 डी0; कुल रकबा– 14 डी0 भूमि माल– 0.15 रू0 की जमाबंदी सबीरन खातून, पति– रोजन मिया वो बीबी अमिनवा खातून, पति– उदीन मियां, साकिन– झलपो, थाना– तिलैया, जिला–कोडरमा के नाम से करने का आदेश निर्गत किया जाता है।

अभिलेख में कार्रवाई ....बंद.... की जाती है।

04/06/2018
लेखापित एवं संशोधित

04/06/2018
अंचल अधिकारी,
कोडरमा

Scanned with CamScanner